

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 116/2017

दायर दिनांक 14.12.2017

उनवान

1. हीरालाल पि. रामलाल जाति माली निवासी कोटडी तहसील पिडावा
2. देवीलाल पि. मन्नालाल जाति माली निवासी कोटडी तहसील पिडावा

- वादीगण

बनाम

1. कालूलाल पि. प्रभूलाल जाति माली निवासी कोटडी हाल नि0 पिडावा तहसील पिडावा
2. केसरबाई बेवा प्रभूलाल जाति माली निवासी कोटडी हाल नि0 पिडावा तहसील पिडावा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा तह.पिडावा

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 , 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति - वकील वादीगण - श्री नीलकमल त्रिवेदी

वकील प्रतिवादीगण - श्री विनोद जैन

निर्णय

दिनांक 18.03.2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ग्राम कोटडी तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2071-74 के खाता सं. 612 आराजी ख.न. 100 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा भूमि में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.01.2023 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा व कब्जा काश्त अनुसार अनुसार उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियमों के परिपेक्ष्य में वादग्रस्त आराजी का खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये थे उक्त निर्णय की पालना में नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/38 दिनांक 20.01.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया जिस पर अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई।



५
उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज.)

1



वाक ल

निरन्तर 2 पर ----



Scanned with OKEN Scanner

अभिभाषक वादी की सहमति के आधार पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अतः इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.01.2023 अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम कोटडी तहसील पिड़ावा की जमाबंदी सं. 2071-74 के खाता सं. 653 आराजी ख.न. 100 रकबा 1.8211 है. भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं व कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है :-

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है.	किस्म
1	हीरालाल पि. रामलाल जाति माली नि. कोटडी रहन PNB कोटडी	100/1	0.9105	वारानी प्रथम
2	देवीलाल पि. मन्नालाल जाति माली नि. कोटडी	100/2	0.3036	वारानी प्रथम
3	केसरबाई बेवा प्रभूलाल हि. 1328/3035 रानी माली पि. कालूलाल हि. 569/3035 लोकेश पि. कालूलाल हि. 569/3035 संजुबाई बेवा कालूलाल हि. 569/3035 जाति माली निवासी कोटडी	100/3	0.6070	वारानी प्रथम

तहसीलदार पिड़ावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।
फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Handwritten signature)

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी गंगधार
राजिला झालीवाड़ी राज0
पिड़ावा, जिला झालीवाड़ी (राज0)

फाईनल डिक््री मुकदमा इन्वदाई
(ओ० 20 रूत 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 116/2017

दायर दिनांक 14.12.2017

उनवान

1. हीरालाल पि. रामलाल जाति माली निवासी कोटडी तहसील पिडावा
2. देवीलाल पि. मन्नालाल जाति माली निवासी कोटडी तहसील पिडावा

- वादीगण

बनाम

1. कालूलाल पि. प्रभूलाल जाति माली निवासी कोटडी हाल नि० पिडावा तहसील पिडावा
2. केसरबाई बेवा प्रभूलाल जाति माली निवासी कोटडी हाल नि० पिडावा तहसील पिडावा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा तह.पिडावा

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 , 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति - वकील वादीगण - श्री नीलकमल त्रिवेदी


वकील प्रतिवादीगण - श्री विनोद जैन

मिनजानित मुदई रूबरूX.....मिनजाबिन

मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक््री दी जाती है कि - इस न्यायालय के निर्णय व डिक््री दिनांक 24.01.2023 अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम कोटडी तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2071-74 के खाता सं. 653 आराजी ख.न. 100 रकबा 1.8211 है. भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं व कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है :-

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ख०न०	रकबा है.	किस्म
1	हीरालाल पि. रामलाल जाति माली नि. कोटडी रहन PNB कोटडी	100/1	0.9105	बारानी प्रथम
2	देवीलाल पि. मन्नालाल जाति माली नि. कोटडी	100/2	0.3036	बारानी प्रथम

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)



3	केसरबाई बेवा प्रभूलाल हि. 1328/3035 रानी माली पि. कालूलाल हि. 569/3035 लोकेश पि. कालूलाल हि. 569/3035 संजुबाई बेवा कालूलाल हि. 569/3035 जाति माली निवासी कोटडी	100/3	0.6070	वारानी प्रथम
---	--	-------	--------	-----------------

तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा, अरि एएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
पिडावा जिला झालावाड राज०

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद
बषारहX..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX.....
अदा करुंगा।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 18.03.2025 को जारी किया
गया।

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा जिला झालावाड राज०

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान



उपखण्ड अधिकारी पिडावा
पिडावा जिला झालावाड राज०